माल और सेवा कर परिषद
GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL

वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय

5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

फा सं : GoM-RealEstateSector/GSTC/2021/7060-68 **दिनांक : 5 जनवरी, 2022**

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: GST व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

जीएसटी (GST) शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह सम्बन्धी कार्यालय ज्ञापन संख्या 09/GoM for Revenue Analysis/GSTC/2018 दिनांक 15.01.2019 में आंशिक संशोधन के परिणाम स्वरूप, GoM में निम्नलिखित की संरचना इस प्रकार होगी:

क्र.सं .	नाम, पदनाम और संगठन	स्थिति
1.	श्री नितिनभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री, गुजरात	संयोजक
2.	श्री अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
3.	श्री मौविन गोडिन्हो, मंत्री राज पंचायत –, परिवहन, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, प्रोटोकॉल और विधायी कार्य, गोवा	सदस्य
4.	श्री बसवराज एस. बोम्मई, गृह, विधि, संसदीय कार्य और विधान मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
5.	श्री के. एन. बालागोपाल, वित्त मंत्री, केरल	सदस्य
6.	श्री मनप्रीत सिंह बादल, वित्त मंत्री, पंजाब	सदस्य
7.	श्री सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री वित्त –, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

2. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने सम्बन्धी GoM के निर्धारित कार्य क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

I. जीएसटी की कर दर का विश्लेषण करना, जिसमें 10 जनवरी, 2019 को आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में GoM को भेजे गए आवासीय निर्माण इकाइयों के लिए कंपोजिशन योजना प्रदान करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के आलोक में मुद्दों/चुनौतियों पर विचार करना भी शामिल है;

II. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिशन योजना या किसी अन्य योजना के तरीकों की जांच करना और सुझाव देना, और सुझाई गई योजना को लागू करने के संबंध में संक्रमण (transition) योजना का सुझाव देना;

III. संयुक्त विकास समझौते (Joint Development Agreement) में विकास अधिकारों के हस्तांतरण (TDR) और विकास अधिकारों पर जीएसटी लगाने के विभिन्न पहलुओं और उपयुक्त मॉडल की जांच करना;

IV. कंपोजिशन में भूमि या किसी अन्य घटक को शामिल करने/बाहर रखने की वैधता की जांच करना और मूल्यांकन तंत्र (valuation mechanism) का सुझाव देना;

V. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी अन्य पहलू की जांच करना और सुझाव देना, जो GoM के संज्ञान में लाया जा सकता है।

3. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM आवश्यकतानुसार केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को आमंत्रित कर सकता है।
4. विधि समिति और फिटमेंट समिति के संयोजक GoM की सहायता करेंगे।
5. TRU, CBIC के संयुक्त सचिव इस GoM के सचिव होंगे।
6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. सी. एस. महापात्र)

अपर सचिव

सेवा में:

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी।
4. राजस्व सचिव, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, CBIC, नई दिल्ली।
6. सीईओ, GSTN, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, TRU, नई दिल्ली।
8. विधि, फिटमेंट और आईटी समितियों के संयोजक।